न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– विविध / 224 / 2017

उनवान

1. एडिला बिजनेस वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड कोटा, रजिस्टर्ड मल्टीमेटल्स लिमिटेड परिसर, सी ब्लॉक 6–7 लार्ज स्केल, इण्डस्ट्रीयल एरियो, कंसुआ रोड, कोटा (राजस्थान) जरिये डायरेक्टर, शम्भू अग्रवाल आत्मज मन्ना लाल अग्रवाल

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त तहसीलदार, बदनोर जिला भीलवाडा
2. खनिज अभियन्ता, खनिज विभाग, भीलवाडा
3. अधिशाषी अभियन्ता पी डब्ल्यू डी आसीन्द जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 7 / 2015 निर्णय दिनांक 26.5.2017

अभिभाषक : 1. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 12.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादी / नायब तहसीलदार, बदनोर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के यहॉ वाद पत्र अन्तर्गत धारा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बदनोरके मजरा शीतला का चौडा की जमाबंदी संवत 2067 से 2069 में खसरा संख्या 93 व 94 में खसरा नम्बर 410, 412, 419, 411, 413, 6135/402 कुल किता 6 रकबा 0.42 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 /अपीलार्थी के नाम खातेदारी से दर्ज है। मौका पर्चा पटवार हल्का बदनोंर दिनांक 7.11.2011 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर में काफी समय पूर्व खनन करके मौके पर गहरे खड्डे बने हुए हैं और वर्तमान में उक्त खड्डो में बरसात का पानी भरने से इस भूमि पर वर्तमान में कृषि नहीं हो रही है और निकट भविष्य में भी कृषि नहीं होगी। इस प्रकार प्रतिवादी ने अवैध खनन करके एम एम डी आर एक्ट 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन किया है। अतः खातेदारी निरस्त की जावे। सहायक कलक्टर (एस डी ओ) आसीन्द द्वारा दिनांक 1.8.2012 को निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर कब्जेराज लिये जाने का निर्देश दिया। अपीलार्थी को प्रकरण की कोई जानकारी नही थी एवं न ही प्रार्थी ने कोई उपस्थिति ही न्यायालय में दी थी। अपीलार्थी को बिना सुने उसकीअदम मौजूदगी में निर्णय पारित किया इस पर अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) आसीन्दके यहॉ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी प्रस्तुत किया ।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई ।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो के

(कैलाश ... लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर सुनकर निर्णय पारित करना चाहिये था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों पर तनिक भी कोई विचार किये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जो विधिसम्मत नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं उस संबंध में कोई ध्यान नहीं देकर प्रार्थना पत्र बिना सुनवाई के ही खारिज कर दिया । जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि न्यायालय हाजा द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें न तो मामले के तथ्यों कोदर्ज किया है एवं न ही अपीलार्थी के निवेदन का ही उल्लेख किया गया है। विधि की व्यवस्था के तहत प्रत्येक पक्षकार को अपने अधिकार के संबंध में न्यायालय में चाराजोही करने का अधिकार है। तथा न्यायालय को उसके सम्मुख आये पक्षकार को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही मेरिट पर निर्णय पारित करना चाहिये। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्कों की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण डब्ल्यू एल सी राजस्थान यू सी पेज 1997 की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो

(कैलाश चन्द्र ...)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया । अपीलाधीन निर्णय दिनाक 26.5.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प बदनोर पर पारित किया गया है। उक्त आदेशिका का अवलोकन किया गया । उक्त में अंकित किया गया है कि "**प्रार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित** । पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली इसी स्टेज पर खारिज की जाती, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।" प्रकरण को दिनाक 26.5.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प बदनोर पर रखे जाने हेतु पक्षकारान को जारी सूचना पत्र का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सूचना पत्र दिनांक 29.4.2017 को जारी किया गया है जिसमें तारीख पेशी दिनांक 26.5.2017 नियत की गई है। उक्त नोटिस/सूचना पत्र की पुश्त पर लक्ष्मीकान्त नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर है। जो कि अपीलाधीन प्रकरण में पक्षकार नहीं है। तामील कुनिन्दा ने यह भी अंकित नही किया है कि उक्त लक्ष्मीकान्त जिस पर नोटिस की तामील कराई गई है वह प्रार्थी के रिश्ते में क्या लगता है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रार्थी पर नोटिस की तामील होना मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है एवं अपने निर्णय में प्रार्थी के प्रतिनिधि की उपस्थिति भी अंकित की है। जबकि अपीलार्थी को जारी नोटिस/सूचना पत्र की प्रोपर तामील भी नहीं हो पाई थी। प्रार्थना पत्र किस कारण निरस्त किया गया है उसका कोई विस्तृत विवेचन भी नहीं किया गया है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण डब्ल्यू एल सी राजस्थान यू सी पेज 1997 में भी माननीय न्यायालय ने पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना ही आदेश पारित किये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करने हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किये जाने का अभिमत व्यक्त किया है। अपीलाधीन प्रकरण में भी अपीलार्थी/प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सूचना पत्र की प्रोपर तामील भी अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी/प्रार्थी पर नहीं कराई गई है। अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने का कारण भी विवेचित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

8. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.5.2017 को निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी/प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर अज सिरे नो निर्णय पारित करे।

9. निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा